न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 09/2019

1. जुहरवी पत्नी फजरू
2. हारून
3. साहून
4. अलीशेर
5. आजम पिसरान फजरू
6. रहमती
7. रूकसीना पुत्रीयान फजरू जाति मेव निवासी ग्राम जोतदरिया तहसील पहाडी जिला भरतपुर राज0।

वादीगण

बनाम

राज0 सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश बुन्देला वकील वादीगण

दिनांक :– 22/04/2024

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1082/0.81, 1926/0.11 हैक्टर बांके ग्राम जोतसदरूद्दीन तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुतदाविया पर वादीगण का विगत 50 वर्षो से अधिक समय से वाहैसियत काश्तकार शान्तिपूर्वक वैंधानिक कब्जा है तथा पचास वर्ष से अधिक समय से ही काश्त करते चले आ रहे है तथा राजस्व रिकॉर्ड में आराजी पडत के रूप में दर्ज है जो पहले अनुपजाऊ व अनुपयोगी बंजर खार की भूमि थी। आराजी मुतदाविया पर पूर्व में वादीगण के पिता ने वहैसियत खातेदार के रूप में कब्जा काश्त था पिता वादीगण के मरने के बाद वादीगण ने उक्त आराजी को कृषि योग्य भूमि बनाकर आराजी पर लगातार शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त करते चले आ रहे है तथा आराजी में वादीगण द्वारा अपने मवेशियों को पानी का कुण्डा, चारा भरने के लिये तीन बुर्जी , बिटोरा, लकडी तथा अपने आवास हेतु ईंट , पत्थर का छप्परपोश मकान बना रखा है इसके आधार पर वादीगण अपने आपको खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी है। वादीगण के पिता फजरू द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 01/01/2014 को तहसीलदार साहब पहाडी को आराजी का आवंटन करने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमें तहसीलदार पहाडी द्वारा अपने पत्र क्रमांक :–एल0आर0/14/575 दिनांक 06/03/2014 के जरिये अपनी रिपोर्ट न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय , पहाडी को प्रस्तुत की गई थी जिसमें उपखण्ड अधिकारी महोदय, पहाडी द्वारा अपने पत्र क्रमांकःजाँच/2015/395 दिनांक 25/06/2015 को अपनी जाँच रिपोर्ट श्रीमान अति0 जिला कलक्टर महोदय, डीग को भेजी जा चुकी है तथा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, पहाडी द्वारा ही पत्र क्रमांक :राजस्व/140 दिनांक 20/02/2015 को ही जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर को भी पूर्व में

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

भिजवाई जा चुकी है तथा श्रीमान अति0 जिला कलक्टर महोदय, डीग द्वारा अपनी जाँच रिपोर्ट क्रमांकः–पीए/जाँच/2015/887 दिनांक 29/06/2015 को आवंटन कर पत्र जारी करने बाबत श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर को भेजा जा चुका है तद्पश्चात श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांकः12/12(74) 2015/9831 दिनांक 29/10/2015 तथा पत्र क्रमांक :–12/12 /2015/10482 दिनांक 07/12/2015 को तहसीलदार पहाडी को पत्र जाँच कर नियमानुसार कार्यवाही कर पट्टा जारी करने हेतु प्रेषित किया जा चुका है। तहसीलदार पहाडी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एल0आर/2015/3646 दिनांक 23/12 /2015 को पटवारी हल्का जोतरी पीपल को भेजकर तथ्यों की जाँच कर अविलम्ब तहसीलदार कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत किया गया लेकिन राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों के मन में बदयान्ती आ जाने की वजह से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 को आराजी मुतदाविया का पट्टा जारी करने की मिन्नते काफी की गई लेकिन अभी तक वादीगण के नाम खातेदारी का इन्द्राज नहीं किया गया है। दिनांक 29/01/2019 को स्पष्ट शब्दों में वादीगण के नाम पट्टा जारी करने साफ इंकार कर दिया । इस प्रकार वादी का आराजी मुतदाविया पर वैंधानिक कब्जा होने के कारण कब्जा मुखालमाना के आधार पर वादीगण स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार पहाडी ने उपस्थित न्यायालय होकर दिनांक 31/10/2022 को जबाब इस आशय का पेश किया कि आराजी मुतदाविया पर वादीगण से पूर्व उनके पिता अर्थात फजरू का अतिक्रमी के रूप में कब्जा काश्त था जिसने उक्त आराजी मुतदाविया पर काश्त की और आज भी उसके वारिसान (वादीगण) का अतिक्रमी के रूप में कब्जा काश्त है उक्त आराजी पर वादीगण द्वारा अपने मवेशियों को पानी पिलाने हेतु पानी का कुण्डा, चारा भरने का बोगा, बिटोरा, लकडी तथा अपने आवास हेतु पत्थरपोश पक्का मकान बना रखा है अतिक्रमण के रूप में वादीगण का पुराना कब्जा काश्त है। उक्त विवादित आराजी सिवायचक होने के कारण दावा वादीगण खारिज फरमाया जावें।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> आया आराजी मुतदाविया के बाबत न्यायालय से 80(2) जा0दी0 के तहत दावा करने की अनुमति ली जा चुकी है।

.....वादीगण

<u>तनकी संख्या 2 :–</u> आया आराजी की बाबत वादीगण देरीना कब्जे काश्त व भूमिहीन होने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

.....वादीगण

<u>तनकी संख्या 3 :–</u> आया आराजी मुतदाविया के बाबत राजकीय प्रपत्रों के आधार पर वादीगण अपने नाम खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

.....वादीगण

<u>तनकी संख्या 4 :–</u> आया प्रतिवादी को पाबन्द फरमाया जावे कि वह कब्जे काश्त वादीगण में मजाहमत मदाखलत पैदा ना करे तथा अन्य दीगर लोगो को आराजी मुतदाविया का आवंटन ना करें।

.....वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्या 5 :– आया आराजी मुतदाविया में वादीगण ने पानी का कुण्डा , बोंगा, बिटोरा, पक्का मकान इत्यादि पूर्व में ही बना रखे है।

.....वादीगण

तनकी संख्या 6 :– आया आराजी मुतदाविया सिवायचक भूमि राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है एवं आराजी पर वादीगण का अतिक्रमी के रूप में कब्जा व काश्त है।

.....प्रतिवादी

7:– दादरसी :–

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 आजम, पी0डब्लू0 2 साहून, पी0डब्लू0 3 जुहरवी, पी0डब्लू0 4 हारून , पी0डब्लू0 5 नसरू, पी0डब्लू0 6 अलीशेर , पी0डब्लू0 7 दीनू के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल खसरा गिरदावरी 2056–59, 2060–63, 2064–67, व हाल जमाबन्दी सम्वत 2075 लगायत 2078 पेश किये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी मुतदाविया के बाबत न्यायालय से 80(2) जा0दी0 के तहत दावा करने की अनुमति ली जा चुकी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात है कि वादीगण ने दावा करने से पूर्व 80 (2) के तहत न्यायालय से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक प्रतिवादी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी की बाबत वादीगण देरीना कब्जे काश्त व भूमिहीन होने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। वादीगण ने देरीना कब्जे काश्त का कोई भी दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया है। तहसीलदार पहाडी के जबाब मुताबिक आराजी सिवायचक सरकारी भूमि है। अतः यह तनकी भी वाहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :– आया आराजी मुतदाविया के बाबत राजकीय प्रपत्रों के आधार पर वादीगण अपने नाम खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न जबाब तहसीलदार पहाडी/ नकल जमाबन्दी के मुताबिक आराजी सिवायचक सरकारी भूमि है। अतः यह तनकी भी वाहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4 :– आया प्रतिवादी को पाबन्द फरमाया जावे कि वह कब्जे काश्त वादीगण में मजाहमत मदाखलत पैदा ना करे तथा अन्य दीगर लोगो को आराजी मुतदाविया का आवंटन ना करें।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। तनकी संख्या 1,2,3 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित हो चुकी है ऐसी स्थिति में उक्त तनकी भी वाहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

तनकी संख्या 5 :– आया आराजी मुतदाविया में वादीगण ने पानी का कुण्डा , बोंगा, बिटोरा, पक्का मकान इत्यादि पूर्व में ही बना रखे है।

Scanned with OKEN Scanner

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। तनकी संख्या 1,2,3,4 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित हो चुकी है ऐसी स्थिति में उक्त तनकी भी वाहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 6 :– आया आराजी मुतदाविया सिवायचक भूमि राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है एवं आराजी पर वादीगण का अतिक्रमी के रूप में कब्जा व काश्त है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी पर हैं। मुताविक राजस्व रिकॉर्ड आराजी सिवायचक सरकारी भूमि है और वादीगण का अतिक्रमी के रूप में आराजी पर कब्जा है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी भी वाहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

7. दादरसी :– तनकी संख्या 1,2,3,4,5,6 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

उक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/04/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (डीग)

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner